

**EAST CENTRAL RAILWAY**

**YELLOW BULLETIN**

**(March -2024, ISSUE NO. 69)**

**Contains Irregularities/Deficiencies detected during inspections: -**

1.	During foot plate of 22644 PNBE-ERS express on 01.03.2024, FUT DN Main line Starter found obstructed when DN Loop was blocked by standing coaching rake. Stabling in DN Loop be reviewed in view of signal visibility obstruction.
2.	Visibility of S/32 of KIUL placed just after bridge is not clear even from the minimum distance criteria.
3.	In KIUL-JAJ Section, most of the Engg. Boards of Loop Clear/Speed Boards/Caution Boards/ TP or TG Boards are faded to white instead of Yellow.
4.	Stretcher and PCP Set was not available in Brake Van of train no 13206 on 15.03.2024 and Stretcher and E. L. Box was not available in Brake Van of train no 12331 on 16.03.2024.
5.	During foot plate of 15553 BGP-JYG express on 15.03.2024, it was observed that Branches of Trees cutting is required between BCA-SPJ section.
6.	All Right Signal Exchange Shed on the PF no 02 and provision of Shunt signal is required at Karamnasa station due to frequent shunting.
7.	During Brake Van inspection of 13225 SHC-RJPB express on 28.03.2024, Stretcher, E.L. Box and PCP set were not available in Break Van.
8.	Arm band was not available with Train Manager of 13225 SHC-RJPB express on 28.03.2024.
9.	During Brake Van inspection of 13350 PNBE-SGRL express on 21.03.2024, Cup Board was sealed but no list was available in Break Van in regard to the equipments kept inside.
10.	Engineering siding at Chopan end, Shunting neck no 1 & 2 and Hot axle siding were not fit at Salaibanwa (SLBN) station which is required to be made fit due to its importance.
11.	High level Platform was available but Foot Over Bridge is not provided at Salaibanwa station.
12.	At LC no 02 "B" at KM 51/14-15 between MFP-RD, out of three Tri colour torches, only one was in working condition.
13.	At Motipur station, only English version SWR was available. Date of issue was 22.01.2024 but enforcement date was not mentioned.
14.	Competency Certificate of Station Master for EI working was not available at Motipur station.

**SPECIAL ATTENTION TO BE PAID: -**

- (i) The fire extinguishers should not be kept on the ground surface. It should be hung on the wall.
- (ii) On Duty SM should not sublet his works and no one should be allowed to work on Panels/operate Block. Instruments.
- (iii) Suitable provision of shed at all stations to be ensured for showing All Right Signal from opposite side of SM office to passing trains for proper detection of irregularities if any.
- (iv) Ensure use of adequate stop callers in case of line block.
- (v) Provision of stretcher should be ensured at all originating stations of ECR from where coaching trains originate & its loading & keeping the same in cup board be arranged.

**“Divisions are advised to ensure immediate circulation (in yellow color printout) to all concerned for initiating action and compliance of the above irregularities/anomalies/Special Attention and report to be sent to this office for onward action.”**

BINAY  
KUMAR DAS  
Digitally signed by BINAY  
KUMAR DAS  
Date: 2024.04.12 13:23:47  
+05'30'

**(B. K. Das)**  
**COM/G/ECR**  
Dated -12.04.2024.

No.ECR/OPTG. Safety/Yellow Bulletin/87/505

**Copy to:-**

1. PCOM & PCSO- for kind information please.
2. DRM- DHN, DNR, DDU, SEE & SPJ - for kind information please.
3. Sr.DOM -DHN, DNR, DDU, SEE & SPJ for information & necessary action please.
4. ZRTI MFP & BHULI for information please.

## पूर्व मध्य रेल

### येलो बुलेटिन

(मार्च - 2024 अंक सं.-69)

मुख्यालय द्वारा किए गये निरीक्षण के दौरान पाए गए कमियों/अनियमितताओं को समाहित करते हुए:-

1.	दिनांक 01.03.2024 को 22644 पटना - एर्णाकुलम एक्सप्रेस के फुट प्लेट के दौरान, फ्रतुहा डाउन मेन लाइन स्टार्टर बाधित पाया गया जब डाउन लूप को कोचिंग रैक से अवरुद्ध कर दिया गया था। सिग्नल दृश्यता में बाधा को देखते हुए डाउन लूप में स्टेबलिंग की समीक्षा की जाए।
2.	किऊल पुल के ठीक बाद स्थित S/32 की दृश्यता न्यूनतम दूरी मानदंड से भी कम है।
3.	किऊल - झांझा अनुभाग में, अधिकांश इंजीनियरिंग लूप क्लियर/स्पीड बोर्ड/कॉशन बोर्ड/टीपी या टीजी बोर्ड के बोर्ड पीले के बजाय सफेद हो गए हैं।
4.	दिनांक 15.03.2024 को ट्रेन नंबर 13206 के ब्रेक वैन में स्ट्रेचर और पीसीपी सेट उपलब्ध नहीं था और 16.03.2024 को ट्रेन नंबर 12331 के ब्रेक वैन में भी स्ट्रेचर और ई.एल. बॉक्स उपलब्ध नहीं था।
5.	दिनांक 15.03.2024 को 15553 भागलपुर - जयनगर एक्सप्रेस के फुट प्लेट के दौरान पाया गए कि बछवारा-समस्तीपुर खंड के बीच पेड़ों की शाखाओं को काटने की आवश्यकता है।
6.	करमनासा (केएमएस) स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 02 पर ऑल राइट सिग्नल एक्सचेंज हेतु शेड और लगातार शंटिंग होने के कारण शंट सिग्नल की आवश्यकता है।
7.	दिनांक 28.03.2024 को 13225 सहरसा - राजेन्द्रनगर एक्सप्रेस के ब्रेक वैन निरीक्षण के दौरान स्ट्रेचर, ई.एल.बॉक्स एवं पीसीपी सेट ब्रेक वैन में उपलब्ध नहीं था।
8.	दिनांक 28.03.2024 को 13225 सहरसा - राजेन्द्रनगर एक्सप्रेस के ट्रेन मैनेजर के पास आर्म बैंड उपलब्ध नहीं था।
9.	दिनांक 21.03.2024 को 13350 पटना - सिगरौली एक्सप्रेस के ब्रेक वैन निरीक्षण के दौरान, कप बोर्ड को सील कर दिया गया था लेकिन ब्रेक वैन में कोई सूची उपलब्ध नहीं थी कि अंदर क्या सामान रखा है।
10.	सलाइबनवा (एसएलबीएन) स्टेशन के चोपन (सीपीयू) छोर पर स्थित इंजीनियरिंग साइडिंग, स्टेशन पर शंटिंग नेक नंबर 1 और 2 और हॉट एक्सल साइडिंग फिट नहीं था जिसे उसकी उपयोगिता के कारण शीघ्र फिट किये जाने की आवश्यकता है।
11.	सलाइबनवा (एसएलबीएन) स्टेशन पर उच्च स्तरीय प्लेटफार्म उपलब्ध था लेकिन फुट ओवर ब्रिज उपलब्ध नहीं था।
12.	मुज० - राम दयालु खंड के बीच किमी 51/14-15 पर एलसी नंबर 02 "बी" पर तीन ट्राई कलर टॉर्व में से केवल एक चालू हालत में पाया गया।
13.	मोतीपुर स्टेशन पर, केवल अंग्रेजी संस्करण स्टेशन संचालन नियमावली उपलब्ध था। जारी करने की तिथि 22.01.2024 थी लेकिन प्रवर्तन तिथि का उल्लेख नहीं किया गया था।
14.	मोतीपुर स्टेशन पर ईआई कार्य के लिए स्टेशन मास्टर का योग्यता प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं था।

### विशेषरूपसे ध्यान दें :

- अग्निशामक यंत्र को जमीन की सतह पर नहीं रखना चाहिए, इसे दीवार पर लटका कर रखना चाहिए।
- ऑन ड्यूटी स्टे.मास्टर को अपना कार्य किसी दूसरे से नहीं करवाना चाहिए और किसी अन्य को पेनल पर कार्य करने / ब्लॉक यंत्र को परिचालन करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।
- सभी स्टेशनों पर स्टेशन मास्टर ऑफिस के विपरीत दिशा से ऑल राइट सिग्नल दिखाने हेतु शेड का उपयुक्त प्रावधान सुनिश्चित किया जाए ताकि अनियमितताओं का उचित पता लगाया जा सके यदि कोई हो।
- लाइन ब्लॉक होने की स्थिति में पर्याप्त स्टॉप कॉलर्स का प्रयोग सुनिश्चित करें।
- पूर्व मध्य रेल के सभी स्टेशनों पर जहां से यात्री गाड़ीयां आरंभ होती हैं, स्ट्रेचर का प्रावधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए और उन्हें लोड करने के बाद कप बोर्ड में रखना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।  
"मंडलों को सलाह दी जाती है की सर्व संबंधित को तत्काल वितरित कर कार्यवाही सुनिश्चित करे और उपरोक्त अनियमितताओं/विसंगतियों/ विशेष ध्यान के अनुपालन के संबंध में रिपोर्ट इस कार्यालय को आगे की कार्य वाही हेतु प्रेषित करें।"

BINAY KUMAR  
DAS

Digitally signed by BINAY KUMAR  
DAS  
Date: 2024.04.12 12:04:23 +0530'

(बी.के.दास)

मुख्य परिचालन प्रबंधक (सा.) / हाजीपुर

दिनांक 12.04.2024.

सं. ई.सी.आर./परि.सं./येलोबुलेटिन/ 87 /505,  
प्रतिलिपि-

- प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक एवं प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी को सादर सूचनार्थ।
- मंडल रेल प्रबंधक धनबाद, दानापुर, डी.डी.यू., सोनपुर एवं समस्तीपुर को सादर सूचनार्थ।
- वरि.मं.परि.प्रबंधक धनबाद, दानापुर, डी.डी.यू., सोनपुर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु।
- क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर और भूली को सूचनार्थ।